

Speed post /त्रिव डाक

Show-cause Notice/कारण बताओ नोटिस

भारत सरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of Mines.  
Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: MCDR-MiFL0LST/18/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM

दिनांक: 08 /01/2024

प्रेषित: खान एजेंट,  
रास-I चूना पत्थर खान,  
मेसर्स अबूजा सीमेंट लिमिटेड,  
पोस्ट राबरियावास  
तहसील जैतारण, जिल्ला पाली (राजस्थान),  
पिन: 306709

(e-mail: [sandeep.singh9@adani.com](mailto:sandeep.singh9@adani.com), [vishal.gupta@adani.com](mailto:vishal.gupta@adani.com))

विषय: राजस्थान राज्य के पाली जिले में स्थित आपकी रास-I चूना पत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

इस कार्यालयके डॉ. ए. जेड. खान, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा दिनांक 18.12.2023 को किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन पाया गया-

Rule	Status and extent of violation
45(7)	On examination of Annual Return for the year 2022-23 following discrepancies have been observed: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Part I(2) Location of mine: Name of village, post office, Tehsil-Taluka &amp; Pin code not given.</li> <li>(ii) Part I(3) Uploaded PMCP report template: No. of plants planted in the lease area is given for 2021-22 in place of 2022-23</li> <li>(iii) Part III(1)(iii) Electricity: The electricity generated is given as Zero. But the information submitted to IBM through star rating template, the source from green/renewable energy is given as 18297Kwh.</li> <li>(iv) Part VII: In the last table the production proposal for financial year 2022 – 2023 is given as zero.</li> </ul>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समाप्ति की सिफारिश की जा सकती है।

03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 कि अनुसूची -2 के प्रावधान लागू होंगे।

1/23523/2024 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार कर एवं सुधार  
1/23523/2024 की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 30 (तीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय  
को सूचित करें।

05. कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा ।

भवदीय

**(चन्द्रेश बोहरा)**  
उप खान नियंत्रक (प्रभारी)  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सोजत, जिला पाली।
4. रक्षित पत्रवली।

उप खान नियंत्रक (प्रभारी)